न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0ए0 अपील वाद सं0–07/2020–21

मनोज मंडल
बनाम
माया मुर्मू एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10.01.2023	**आदेश** यह अपीलवाद अपीलकर्त्ता मनोज मंडल, पिता–शंकर उर्फ संतु मंडल, सा0–बासमती, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–67/2019–20 में दिनांक–13.10.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) माया मुर्मू, पिता–सुन्दर मुर्मू, सा0–बासमती, थाना–महेशपुर (2) झारखण्ड राज्य एवं (3) 16 आना रैयत मौजा–बासमती, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ को पक्षकर बनाते हुए दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि मौजा–बासमती, थाना–महेशपुर के ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु निम्न दस आवेदकों के द्वारा अपना–अपना आवेदन दाखिल किया गया– (1) संजय भगत (2) मनोज कुमार मंडल (3) अमुल्य मंडल (4) चरण सोरेन (5) निरानन्द भगत (6) ब्रेनथियुस मुर्मू (7) सन्तु मंडल (8) मरियम हेम्ब्रम (9) दिलीप मुर्मू एवं (10) माया मुर्मू ।क्रमांक (10) माया मुर्मू के द्वारा SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत जबकि शेष 9 आवेदकों द्वारा धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदकों के आधार पर पी0ए0 वाद सं0–62/07–08, 02/12–13, 14/15–16 एवं 67/19–2020 प्रारम्भ किया गया। सुनवाई मूल पी0ए0 वाद सं0–62/07–08 में अन्य वादों को संलग्न कर लिया गया एवं दिनांक 13.10.2020 को पारित आदेश द्वारा आवेदिका माया मुर्मू, पिता–सुन्दर मुर्मू (इस वाद की उत्तरवादी सं0–01) को SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। यह अपील वाद इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बासमती न0–36 एक प्रधानी गाँव है। उक्त मौजा के खतियानी ग्राम प्रधान परथा मुर्मू थे। परथा मुर्मू की मृत्यु के बाद उनके सबसे छोटे पुत्र सुन्दर मुर्मू उक्त मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्त हुए। सुन्दर मुर्मू की मृत्यु नावलद हो गई। इस संदर्भ में अंचल अधिकारी, महेशपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार उक्त मौजा के	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	खतियानी प्रधान चुनका मुर्मू थे जिनकी मृत्यु वर्ष–1970 में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उक्त मौजा में कोई ग्राम प्रधान नियुक्त नहीं हुआ। उनका आगे कहना है कि अंतिम नियुक्त ग्राम प्रधान की मृत्यु लगभग 50 वर्ष पूर्व हो जाने के कारण प्रश्नगत मौजा खास हो गया एवं खास मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति SPT Act 1949 की धारा 5 के तहत की जानी चाहिए थी। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा गलत तरीके से उत्तरवादी सं0–01 की नियुक्ति धारा 6 के तहत कर दी गई। अंतिम प्रधान चुनका मुर्मू की मृत्यु के बाद अपीलकर्त्ता कार्यवाहक प्रधान के रूप में प्रश्नगत मौजा में ग्राम प्रधान के कामों से निष्पादित करते रहे हैं। उनका में भी कहना है कि उत्तरवादी सं0–01 के पिता–सुन्दर मुर्मू की नियुक्ति ग्राम प्रधान पद पर नहीं हुई थी। अतः उत्तरवादी स0–01 वंशानुगत आधार पर दावा नहीं कर सकती है। नियुक्ति की प्रक्रिया में 16 आना रैयतों की सहमति नहीं ली गई। उनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aride) करने का अनुरोध किया गया। उत्तरवादी सं0–01 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बासमती एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के खतियानी प्रधान चुनका मुर्मू थे जिनकी मृत्यु वर्ष 1970 में हो गई है। उत्तरवादी सं0–01 उक्त चुनका मुर्मू की पोती एवं वैद्य उत्तराधिकारी है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत सर्वप्रथम वंशानुगत दावे का निष्पादन किया जाना है तथा वंशानुगत दावे के अस्वीकृत हो जाने पर ही धारा 5 के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जानी है। प्रश्नगत मौजा को कभी भी खास घोषित नहीं किया गया। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बिल्कुल सही बताते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। संपूर्ण अभिलेख (निम्न न्यायालय के अभिलेख सहित) का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभय पक्ष इस बात से सहमत है कि मौजा–बासमती एक प्रधानी मौजा है। अंचल अधिकारी, महेशपुर के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत मौजा के खतियानी ग्राम प्रधान चुनका मुर्मू थे, जिनकी मृत्यु वर्ष 1970 में हो गई। चुनका मुर्मू की मृत्य के बाद से उक्त मौजा में ग्राम प्रधान का पद रिक्त है। उत्तरवादी सं0–01 माया मुर्मू अंतिम ग्राम प्रधान चुनका मुर्मू की पोती है। अपीलकर्त्ता मनोज मंडल का खतियानी प्रधान से कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सका। अपीलकर्त्ता का दावा है कि नियुक्ति SPT Act की धारा 5 के तहत होनी चाहिए थी। SPT Rule 1950 के सेड्यूल V (3) के अनुसार ग्राम प्रधान का कार्यालय

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

वंशानुगत होता है। उदाहरण निम्नवत् है :–

"The office of headman being hereditary the next him, who is filled, should be headman If the heir be a minor, he may be appointed headman with a sarbrakhar to manage for him until he attaim his majority. If no suitable sarbrakhar can be found the right of the minor lapses".

Thakur Hembrom Vs State of Bihar 1980 BLJR 448 : 1980 BLJ212 (DB) में माननीय उच्च न्यायालय पटना, बिहार द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुसार सर्वप्रथम धारा 6 के तहत दावे का निष्पादन करना है तथा धारा 6 के तहत दावे के अस्वीकृत होने की स्थिति में ही धारा 5 के तहत सुनवाई की जानी है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

10/1/23
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

10/1/23
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.03 11:37:49 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:32:b76f:3557:ab48

Scanned with CamScanner